

# FORM NO. |||

फर्द अहकाम  
नियम (26)

अज अदालत.....उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम.....  
 बंशीलाल बनाम.....सरकार.....किस्म मु0.....  
 39 मिसल न0.....2025.....(29/2025).....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
14/8/25	<p>प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखावाडा 2025 के द्वारा प्राप्त हुआ ,जिसमे प्रार्थी बंशीलाल पुत्र किशना ने प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के हिस्से की भूमि में प्रार्थी का नाम बंशीलाल पुत्र किशना जाति बैरवा नि0 ककरावदा नाम दर्ज है। जमाबंदी सवत् 2074 से 77 मुताबिक खसरा नबर 425, 436 में काशतगार का नाम बंशीलाल पुत्र किशना दर्ज है। जिसकी शुद्धि के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है उक्त प्रकरण की सम्बधित पटवारी भू. अभि. निरीक्षक क्षेत्र द्वारा दुरस्ती करने अनुशंसा की गई । अतः तहसीलदार पीपल्दा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का नाम बंशीलाल पुत्र किशना के स्थान पर बंशीलाल पुत्र किशनलाल नाम दर्ज किया जावे । आज दिनांक 18/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p>	